न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1325–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–3–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 46/अपील/2014–15.

.....

बद्रीप्रसाद मीना वल्द स्व0पन्नालाल
निवासी ग्राम चीचली कलॉ बाबई
तहसील बाबई जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

मिश्रीलाल वल्द स्व0पन्नालाल
निवासी ग्राम चीचली कलॉ बाबई
तहसील बाबई जिला होशंगाबाद

.....अनावेदक

.....

श्री दीपक जैन, अभिभाषक– आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया है, जिसमें 0.98 एकड़ पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 8–10–2013 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक को दिलाये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–4–15 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 10–3–2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि सीमांकन विधिवत् नहीं हुआ है क्योंकि सीमांकन के पूर्व राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक को विधिवत् सूचना दी गई है और तामीली स्वरूप उसके हस्ताक्षर भी है ।

(2) अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी उचित नहीं है कि सीमांकन में हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है क्योंकि यदि कोई भूमिस्वामी अपनी भूमि का सीमांकन कराता है और पड़ोसी कृषक सूचना के उपरांत भी अनुपस्थित रहता है तब उनकी अनुपस्थिति सीमांकन कराने वाले पर बंधनकारी नहीं है ।

(3) संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है ।

तर्क के समर्थन में 2013 आरएन 277 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) उभयपक्ष आपस में रिश्तेदार होकर सगे भाई है जिनके समक्ष पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर बटवारे हुये, बटवारा असमान था जिसमें अनावेदक को बटवारे अनुसार कम भूमि प्राप्त हुई थी जिसके लिये अनावेदक पृथक से समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करेगा ।

(2) बटवारा वर्ष 1963 को हुआ था इसके पश्चात् संहिता की धारा 250 की कार्यवाही सीमांकन के आधार पर दो वर्ष के भीतर विधिसंगत आदेशात्मक होकर निगरानीकर्ता पर बंधनकारी था परन्तु अनावेदक के पीठ पीछे सीमांकन कर सीमांकन के आधार पर तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 की कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें अनावेदक को पूर्ण सुनवाई का अवसर नहीं देते हुये विवादित आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) संहिता की धारा 250 में मुख्यतः यह देखा जाता है कि आवेदक को बेकब्जा किस दिनांक को किया गया जो सिद्ध किया जाना आवश्यक है जो साक्ष्य द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है तथा संहिता की धारा 250 की कार्यवाही 2 वर्ष के भीतर की गई है या नहीं बेकब्जा दिनांक से यह भी आवश्यक है, उक्त प्रकरण में इन सभी तथ्यों का अभाव है । इस आधार पर भी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा केवल तकनीकी आधारों पर आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई है, जबकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सीमांकन कार्यवाही में क्या त्रुटि हुई है ? अतः आवेदक सीमांकन कार्यवाही

एवं सीमांकन आदेश से व्यथित था तब उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाना चाहिये था । तहसीलदार के प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसे लेने से उसके द्वारा इंकार किया गया है, जिस कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुआ है और उसके द्वारा सीमांकन कार्यवाही में कोई त्रुटि नहीं बतलाई जा सकी है । स्पष्ट है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक आदेश है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर